

लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश

क्रमांक-विद्या/एस/12/2009-10/1104

भोपाल, दिनांक 4.10.2010

प्रति,

1- समस्त, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग,
मध्यप्रदेश.

2- समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश.


विषय-स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत अतिथि शिक्षक अध्यापन व्यवस्था।

सन्दर्भ:-मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/आर.
27-77/20-2/07 दिनांक 29.11.2007 संचालनालय का पत्र क्रमांक/विद्या.
ई/2007/2526-27 दिनांक 30.11.2007 समसंख्यक पत्र क्रमांक-412 दिनांक
14.5.2008 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक
44-62/2008/20-2 दिनांक 30.7.2008 पत्र क्रमांक 2825 दिनांक 25.10.2008
संचालनालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक-242 दिनांक 11.3.2010

---00---

स्कूल शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न स्तर की हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापन हेतु रिक्त शिक्षकों के पदों के विरुद्ध अध्यापन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से नियमानुसार अतिथि शिक्षक व्यवस्था लागू है। जिसमें अतिथि शिक्षक की संख्या स्कूल के लिये स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक न होने के निर्देश है।

हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में नियमानुसार विषयवार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से 100 प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों से नियमानुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


4.10.2010

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक-विद्या/एस/12/2009-10/1105

भोपाल, दिनांक 4.10.2010

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 3- आयुक्त जन संपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
- 4- आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल।
- 5- आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल।
- 6- आयुक्त अनुसूचित जाति विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
- 7- समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
- 8- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश